न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO.TS-509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–07 परशुराम पाण्डेय की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 03.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–07 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 03.07.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–07 परशुराम पाण्डेय दिनांक 07.02.2023 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुये तथा बयान तहरीरी वास्ते समयावेदन दिये जो न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया। कुछ आवश्यक कागजातो के खोजबीन तथा नकल प्राप्त होने में विलंब हुआ तथा प्रतिवादी सं0–07 अपना बयान तहरीरी समय पर दाखिल नही हो सका। प्रतिवादीगणों द्वारा बयान तहरीरी में जानबुझकर विलंब नही किया गया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिवादी सं0–07 का बयान तहरीरी को स्वीकृत करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–07 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–07 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किये है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–07 दिनांक 07.02.2023 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी सं0–07 दिनांक 03.07.2023 को अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किये। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–07 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO.TS-509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.02.2024	वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–07 नियत समय के बाद दिनांक 03.07.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–07 का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–07 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 20.02.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	